

## मतदाताओं के लिए सामान्य अनुदेश

1. मत पत्र पर अभ्यर्थी के नाम के सामने केवल × (क्रॉस) का चिन्ह अंकित करेंगे। अन्य चिन्ह अंकित किये जाने पर मत पत्र रद्द कर दिया जाएगा।
2. वर्ग A (सफेद बैलेट पेपर) में सामान्य श्रेणी में अधिकतम 12 अभ्यर्थी के नाम के सामने × (क्रॉस) का चिन्ह लगाएंगे। इससे अधिक अभ्यर्थी के सामने × (क्रॉस) या अन्य कोई चिन्ह/निशान/हस्ताक्षर लगाने पर मत पत्र रद्द माना जाएगा।
3. वर्ग A महिला (पीला बैलेट पेपर) में अधिकतम दो अभ्यर्थी के नाम के सामने × (क्रॉस) का चिन्ह लगाएंगे। इससे अधिक अभ्यर्थी के सामने × (क्रॉस) या अन्य कोई चिन्ह/निशान/हस्ताक्षर लगाने पर मत पत्र रद्द माना जाएगा।
4. वर्ग A SC/ST (आसमानी बैलेट पेपर) में अधिकतम एक अभ्यर्थी के नाम के सामने × (क्रॉस) का चिन्ह लगाएंगे। इससे अधिक अभ्यर्थी के सामने × (क्रॉस) या अन्य कोई चिन्ह/निशान/हस्ताक्षर लगाने पर मत पत्र रद्द माना जाएगा।
5. वर्ग B (लाल बैलेट पेपर) में अधिकतम दो अभ्यर्थी के नाम के सामने × (क्रॉस) का चिन्ह लगाएंगे। इससे अधिक अभ्यर्थी के सामने × (क्रॉस) या अन्य कोई चिन्ह/निशान/हस्ताक्षर लगाने पर मत पत्र रद्द माना जाएगा।
6. मतदान केंद्र परिसर में मोबाइल ले जाना सख्त मना है।
7. मतदान केंद्र के अंदर मतदाता एक दूसरे से Canvassing नहीं करेंगे।
8. मतदान परिसर में केवल अभ्यर्थी एवं मतदाताओं का प्रवेश होगा।
9. मत पत्र मत पेटिका में ही डालेंगे। मत पत्र को बाहर लेकर नहीं जाएंगे।
10. पोलिंग एजेंट मतदाताओं के बीच से ही नियुक्त होगा।